186

संख्याः 1054 /XIII-1/2012-5(42)2005

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक 18 अक्टूबर,2012

विषय- राज्यों के प्रसार कार्यकमों की विस्तार की योजना के अर्न्तगत 10 प्रतिशत् राज्यांश की धनराशि अवमुक्ति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ0नि0/3807/लेखा-बजट/आतमा/2012-13/दिनांक 20 सितम्बर,2012 एवं शासनादेश सं0 889/XIII-1/2012-5(42)2005 दिनांक 31 अगस्त,2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्यों के प्रसार कार्यकमों की विस्तार योजना (90 प्रतिशत् के0सा0) योजनान्तर्गत गत वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹463.085 लाख की धनराशि सीधे राज्य स्तर पर खोले गये एस0एफ0ए0सी0 खाते में उपलब्ध कराये जाने एवं तत्समय राज्यांश की 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यांश की धनराशि ₹51.45 लाख (₹इक्यावन लाख पैंतालीस हजार मात्र) निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने एवं उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण कर उत्तराखण्ड स्माल फारर्मस एग्री बिजनेस कन्सोरटियम (SFAC) को हस्तान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन के वर्तमान आदेशों/निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज नियमों/प्रोक्योरमेंट नियमावली-2008 में निहित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अधीन सुनिश्चित किया जाय तथा जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

3. उक्त योजना के कार्यकमों का सम्पादन भारत सरकार की गाइड लाईन्स के अनुसार किया जाय।

4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण मात्र बी0एम0-8 पर आहरण वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना 10 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0-13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-17 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-800-अन्य योजनाऐं-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रपुरोनिधानित योजनाऐं -03-राज्यों के प्रसार कार्यकमों की विस्तार योजना (90 प्रतिशत् केन्द्र पोषित) के मानक मद 42-अन्य व्यय मानक मद के नामे डाला जायेगा।

6-यह आदेश वित्त विभाग के शा0सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च,2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से संलग्न विशिष्ट अलोटमेन्ट आई0डी0 नं0- S1210170139 दिनांक 18 अक्टूबर,2012 एवं वित्त विभाग के अ0शा0प0-94(P)/वित्त अनुभाग-4/2012, दिनांक 17 अक्टूबर,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव

56/G.O. Budget

संख्याः 1054 / XIII-1 / 2012–5(42)2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव